कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क्र0 तीन / निगरानी / अशोक नगर / भू–रा0 / 2018 /

निगरानी – 2558/2018/अशोकनगर/भू.रा. प्रमेन्द्र कुमार पुत्र रघुनाथ

निवासी – भौराकाछी, तहसील व जिला

अशोकनगर, म0प्र0

—— आवेदक

आज 25/4/18 को ... द्वारा प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 25-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

25/4/18

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला

अशोकनगर, म0प्र0

—— अनावेदकगंण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 विरूद्व आदेश दिनांक 30.01.2018 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर, म0प्र0 के प्रकरण कमांक 09 / स्व0निग0 / 2014–15 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि, प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि तहसीलदार परगना अशोकनगर के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 23 / अ–19 / 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2004 से ग्राम भौराकाछी की शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 256 रकवा 0.219 हैक्टेयर का शामिलखाता किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-तीन/निग./2558/2018/अशोकनगर/भू.रा. जिला- अशोकनगर

प्रमेन्द्र कुमार विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 09/स्वमेवनिगरानी/14-15 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, जिला - ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, जिला ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	